कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक– 1447 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक,अक्टूबर, 15 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– ओबरा–सी बदायूँ ट्रान्समिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर–ओबरा पारेषण लाईन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778हे0 आरक्षित व 0.101हे0 संरक्षित वनभूमि (46.879हे0वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 39.536हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बॉस कोठी में से 310 वृक्षों व 09 बॉस कोठी के पातन अर्थात कुल 88.748 हे0 आरक्षित एवं 0.884हे0 संरक्षित, कुल योग 89.632हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों व 511 बॉस कोठी में से कुल 567 वृक्षों/पौधों एवं 299 बॉस कोठी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/04/90/2020/एफ0सी0/875 दिनांक 08.9.2020 तथा आपके कार्यालय के पत्र संख्या–551/11–सी FP/UP/Trans/40906/2019 दिनांक 10.09.2020 इस कार्यालय का पत्रांक–1391/मी0क्षे0/33 दिनांक 08.10.2020 एवं आपका पत्रांक–830/11–सी दिनांक 10.10.2020

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक मामले में उल्लिखित बिन्दुओं की सूचना /अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के आलोक में सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर एवं वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी तथा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर ,ओबरा वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय के कमशः पत्रांक–483/26–11 दिनांक 25.09.2020, पत्रांक–747/29–1 दिनांक 30.09.2020 पत्रांक–1061/मीरजापुर/15 दिनांक 14.09.2020 एवं पत्रांक–727/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 18.09.2020 छायाप्रति संलग्न द्वारा उल्लिखित बिन्दु की आख्या निर्धारित टेबुलर प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रेषित किया। जिसे इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 08.10.2020 द्वारा आख्या प्रेषित किया गया। जिस पर पुनः आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 10.10.2020 द्वारा कतिपय बिन्दु की सूचना /अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के आलोक में सम्बन्धित वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त , वाराणसी तथा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय के क्रमशः प्रत्रांक–920/29–1 दिनांक 13.10.2020 तथा पत्रांक–1515/मी0/15 दिनांक 13.10.2020 एवं पत्रांक– 1007/33–1 दिनांक 15.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उल्लिखित बिन्दु की आख्या निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्नप्रकार प्रेषित किया हैः–

—2—

<table>
<tr><th>SL.No.</th><th>Query raised by Moef</th><th>Reply</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>NOC of NHAI & Railways needs to be submitted</td><td>इस विन्दु के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण सोनभद्र तथा एन0एच0ए0आई0, वाराणसी एवं इलाहाबाद व रेलवे वाराणसी, लखनऊ के द्वारा दी गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>NBWL clearance needs to be provided</td><td>इस विन्दु के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर तथा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उल्लेख किया है कि प्रस्ताव राज्य वन जीव परिषद में विचाराधीन है (टाइम लाईन संलग्न–2)। भारत सरकार के पत्र संख्या–11–327 /2015 एफ0सी0 दिनांक 14.08.2015 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के विस्तृत गाइड लाइन (2019) में उल्लिखित 12.3 के अनुसार प्रस्ताव पर एक साथ कार्यवाही की जा सकती है। छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक–3)। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने वचनबद्धता प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया है कि NBWL clearance मिलने पर उपलब्ध करा दी जायेगी तथा forest clearance की स्वीकृति प्रदान की जाय। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–4)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>The Net suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 176.0ha. which is less than actual required CA land area.</td><td>इस विन्दु के सम्बन्ध में परियोजना में प्रभावित होने वाले वनभूमि के सापेक्ष दूगने अवनत वनभूमि क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निम्नप्रकार चयनित किया गया है।
<table>
<tr><th>प्रभाग का नाम</th><th>प्रभावित वन भूमि (हे0में)</th><th>दूगने अवनत वन भूमि (हे0में)</th></tr>
<tr><td>कैमूर वन्यजीव प्रभाग</td><td>39.536</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td>मीरजापुर वन प्रभाग</td><td>46.879</td><td>94.00</td></tr>
<tr><td>वाराणसी वन प्रभाग</td><td>0.265</td><td>0.53</td></tr>
<tr><td>ओबरा वन प्रभाग</td><td>2.434</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>जौनपुर वन प्रभाग</td><td>0.518</td><td>1.04</td></tr>
<tr><td>योग–</td><td>89.632</td><td>180.57</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रस्तावित परियोजना में मीरजापुर वन प्रभाग में क्षतिपूरक वनीकरण चयनित 94हे0 प्रस्तावित किया गया था किन्तु DSS analysis में 5.00हे0 वनक्षेत्र में हरियाली घनत्व अधिक पाये जाने के कारण क्षतिपूरक वनीकरण हेतु पूर्व प्रस्तावित क्षेत्र से सटे हुए भाग के 5.00हे0 क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। क्षतिपूरक वनीकरण हेत प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि मड़िहान रेंज के बेला बीट के बेला कं0नं0 5 व 6 मे चिन्हित की गयी है। उक्त क्षेत्र भूमि विवाद रहित व अतिकमण से मुक्त है। संशोधित जीयो रिफनेन्सड डिजिटल मैप एवं SOI Toposheet तथा KML फाइल सी0डी0 में संलग्न है।(संलग्नक–5) तथा ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है। |
| 4 | As per provided kml file of CA land. Small patches of agriculture field have been observed in Obra &Kaimur division, this needs to be clarified. | विषयक प्रकरण में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले 2.434हे0 वन भूमि के दूगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–कोटा (पटवाटोला) में 5.00हे0 क्षेत्र चयनित करते हुए उस क्षेत्र का के0एम0एल0 फाईल प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है, जिसके कुछ क्षेत्र पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जोत, कोड़ किया गया था, जिसे खाली करा लिया गया है। वर्तमान में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.00हे0 क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।<br>कैमूर वन्यजीव प्रभाग में चयनित 80.00हे0 वनभूमि के कुछ भाग में अतिक्रमण तथा कुछ भाग में वृक्षारोपण किया गया है। इसके सापेक्ष नयी भूमि वृक्षारोपण हेतु चयनित कर उसका जी0पी0एस0, टोपोशीट के0एम0एल0 फाईल तथा क्षतिपूरक वनीकरण प्राक्कलन संलग्न है।(संलग्नक–6) |
| 5 | As per Google Earth Imageries in CA and polygon of Varanasi division, plantation activity has been observed, this needs to be clarified. | इस बिन्दु के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–970 / 29–1 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्रभावित 0.265हे0 के सापेक्ष दूगने अवनत नयी वनभूमि 0.53हे0 चयनित करते हुए वृक्षारोपण का जीयो रिफनेन्सड डिजिटल मैप एवं SOI Toposheet तथा KML फाइल सी0डी0 सहित संलग्न है (संलग्नक–7)। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन में कोई बदलाव नहीं है। छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक–8)। |

अतः विषयक के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर एवं वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी तथा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर ,ओबरा वन प्रभाग द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या संस्तुति सहित तीन प्रतियों में एतद्सह संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में ।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या— अ/समदिनांक।

प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर एवं वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी तथा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर ,ओबरा वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर